मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 11/05/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11/05/2023 को दोपहर 12:30 बजे श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में मुरादाबाद एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामिती)।
2. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी (DGFT), डीजीएफटी दिल्ली।
3. श्री संतोष कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीएसआईडीए (UPSIDA)।
4. श्री नागेंद्र सिरोही, अधीक्षक, सीजीएसटी (CGST) मुरादाबाद।
5. श्री संदीप देओल, निरीक्षक, सीमा शुल्क, आईसीडी (ICD) मुरादाबाद।
6. श्री आनंद प्रकाश, निरीक्षक, आयकर विभाग, मुरादाबाद।
7. श्री मनीष कुमार पाठक, एसीआई (ACI), डीआईसी (DIC), मुरादाबाद।

B. इसके अलावा, श्री (i) अमित कुमार गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी (सीमा शुल्क), नोएडा एसईजेड/ मुरादाबाद एसईजेड, (ii) नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, मुरादाबाद एसईजेड (iii) विकास, सहायक विकास आयुक्त, मुरादाबाद एसईजेड और (iv) जोसेफ उपाध्याय, आशुलिपिक, मुरादाबाद एसईजेड भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाईयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

01. दिनांक 25/04/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

चूंकि 25/04/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के खिलाफ कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 25/04/2023 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

02. शुल्क के भुगतान पर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में माल हटाने का प्रस्ताव।

2.1 मैसर्स ग्लोबल एक्सपोर्ट हाउस।

1) मैसर्स ग्लोबल एक्सपोर्ट हाउस के घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में एचएस 12119050 के तहत 2-3 खरीदारों को शुल्क के भुगतान पर 42.000 मिलियन टन चंदन के चिप्स और गुच्छे को हटाने के प्रस्ताव को अनुमोदन समिति के विचार के लिए रखा गया था।

सुरेंद्र मलिक

2) समिति को सूचित किया गया कि मैसर्स ग्लोबल एक्सपोर्ट हाउस को इस कार्यालय द्वारा एचएस 44039922 के तहत चंदन (संतालम एल्बम) आयात करने की अनुमति इस कार्यालय द्वारा विशेष रूप से नीचे उल्लिखित एसओपी (SOP) के प्रावधान के तहत दी गई थी:

i. इकाई निर्यात बंदरगाह पर लदान बिल (बी/एल) तैयार करने से पहले चंदन की लकड़ी के आयात की अनुमति के लिए विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) के कार्यालय में आवेदन करेगी।

ii. घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री, निर्यात मान या अन्य एसईजेड इकाइयों को निर्यात की अनुमति उन उत्पादों के लिए नहीं दी जाएगी जो आयातित चंदन या उसके अपशिष्ट/उप-उत्पादों से उत्पन्न होते हैं या उनमें मौजूद हैं।

iii. घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र खरीदार द्वारा पूर्व अनुमति और आयात लाइसेंस के उत्पादन के अलावा कच्चे माल, मध्यवर्ती उत्पाद या तैयार माल की कोई घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

iv. आयातित चंदन से उत्पन्न माल के आयात और निर्यात की 100% परीक्षा। निर्यात की जाने वाली वस्तुएँ हस्तकला की वस्तुएँ होनी चाहिए, जो स्वतंत्र रूप से निर्यात योग्य हों और ईपीसीएच (EPCH) द्वारा हस्तशिल्प के रूप में मान्यता प्राप्त हों।

v. इकाई के लिए प्रदर्शन की निगरानी सालाना की जाएगी और तिमाही आधार पर भंडार लिया जाएगा।

vi. पूर्व अनुमति और घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र खरीदार द्वारा आयात लाइसेंस के उत्पादन के अलावा उत्पन्न कचरे को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बेचने की अनुमति नहीं है; अन्यथा उसे सीमा शुल्क अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट कर दिया जाएगा।

3) श्री मोहन माहेश्वरी, सीईओ/इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उनके स्टॉक की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि उनके पास लगभग 14 मिलियन टन चंदन के चिप्स और गुच्छे का निर्यात किया जाएगा, और घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री करने का कोई इरादा नहीं है। हालाँकि, उनके पास आयातित चंदन से हस्तशिल्प/फिंगर चिप्स के निर्माण से प्राप्त लगभग 46 मिलियन टन चंदन के चिप्स और गुच्छे थे। इकाई इसे लागू शुल्क के भुगतान पर 2-3 खरीदारों को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बेचने का इरादा रखती है। उन्होंने आगे बताया कि इच्छुक खरीदार आसवन विधि द्वारा चंदन के तेल के निर्माण के लिए सामान का उपयोग करेंगे। बदले में इन्हें सीधे बेचा जाएगा या इत्र बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। श्री माहेश्वरी ने यह भी बताया कि अगले 8-10 महीनों में मुरादाबाद एसईजेड (SEZ) में आसवन संयंत्र की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही थी।

4) अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में 12119050 के तहत चंदन के चिप्स और गुच्छे को हटाने की अनुमति **नही** देने का निर्णय लिया और मामले को स्थगित कर दिया। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने निर्देश दिया कि अन्य एसईजेड से इस मामले में अपनी टिप्पणी/इनपुट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जा सकता है।

5) अनुमोदन समिति ने अन्य एसईजेड से प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद मामले को फिर से विचार के लिए रखने का भी निर्देश दिया।

सुरेंद्र मलिक

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

ए. बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त